राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2346/2024

कृष्ण अवतार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा मंत्रालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, सवाईमाधोपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय अशोक उच्च माध्यमिक विद्यालय, फलोदी क्वारी, सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.07.2024
आदेश की दिनांक : 23.07.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री डॉ0 देवेन्द्र कुमार, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 20.04.2005 (अनुलग्नक–1) द्वारा अध्यापक ग्रेड II (अंग्रेजी) के पद पर हुई थी। अपीलार्थी ने अंग्रेजी और संस्कृत विषय में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2016 के लिए समीक्षा डीपीसी का आयोजन किया और इसके आधार पर आदेश दिनांक 18.03.2016 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी और अन्य उम्मीदवारों को व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर पदोन्नत किया। उक्त आदेश दिनांक 18.03.2016 के अनुसरण में अपीलार्थी ने दिनांक 21.03.2016 (अनुलग्नक–3) द्वारा राजकीय अशोक उच्च माध्यमिक विद्यालय, फलोदी क्वारी, सवाई माधोपुर में व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग ने विभिन्न पदों पर व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2016–2017 की डीपीसी आयोजित की, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी संख्या–2 ने आदेश दिनांक 15.07.2016 (अनुलग्नक–4) द्वारा व्याख्याता पद पर पदोन्नत किये गये अभ्यर्थियों की सूची जारी की। उपरोक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर भी पदोन्नत किया गया था लेकिन उपरोक्त पदोन्नति आदेश के बारे में कभी भी सूचित नहीं किया गया और न ही उन्हें किसी भी विद्यालय में कोई पद सौंपा गया। अपीलार्थी को व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर उनकी पदोन्नति के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने प्रत्यर्थी विभाग से संपर्क किया और

उन्हें सूचित किया गया कि उनकी पदोन्नति अब रद्द कर दी गई है क्योंकि उन्होंने पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। अपीलार्थी ने शाला दर्पण पर कई शिकायतें दर्ज कीं और प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 28.07.2022 (अनुलग्नक–5) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें चयन वर्ष 2016–2017 के अनुसार उसे पदोन्नति का लाभ देने का अनुरोध किया गया, लेकिन कोई प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि आदेश दिनांक 15.07.2016 के अनुसार व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर पदोन्नति का लाभ प्रदान की जावे या चयन वर्ष 2016–2017 के लिए रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ चयन वर्ष 2016 से व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में प्रशासनिक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)